

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक :- एफ.3(ख)(1) (सेवानिवृत्ति)/अलेसे-आ/१६३

दिनांक : २२.१२.२१

**कार्यालय आदेश**

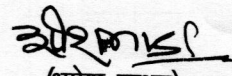
वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(6) वित्त/नियम/१६ दिनांक 24.05.2004 एवं दिनांक 24.05.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के नीचे अंकित राज्य सरकार के निर्णय संख्या 2 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ की 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 7 में अंकित दिनांक को (मध्याह्न पश्चात्) राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

| क्र.सं. | लिक नम्बर | मेरिट नम्बर | नाम                    | प्रवर्ग | जन्मतिथि   | सेवानिवृत्ति दिनांक |
|---------|-----------|-------------|------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1.      | 2309      | 376/92      | राधेश्याम भाटिया       |         | 21/04/1962 | 30-04-2022          |
| 2.      | 4851      | 202/88      | मोहन लाल               |         | 11/04/1962 | 30-04-2022          |
| 3.      | 6007      | 97/92R      | उम्मेद सिंह राजपुरोहित |         | 09/04/1962 | 30-04-2022          |
| 4.      | 3450      | 817/86      | ब्रजकिशोर शर्मा        |         | 15/05/1962 | 31-05-2022          |
| 5.      | 3316      | 115/92R     | अनोप सिंह राठौड़       |         | 01/06/1962 | 31-05-2022          |
| 6.      | 2552      | 605/88      | गोपाल प्रसाद सैनी      |         | 21/06/1962 | 30-06-2022          |
| 7.      | 5912      | 680/88      | लखन लाल गोयल           |         | 01/07/1962 | 30-06-2022          |
| 8.      | 6344      | 343/86      | सुरेन्द्र कुमार शर्मा  |         | 01/07/1962 | 30-06-2022          |
| 9.      | 2536      | 267/94      | राजकुमार ऐरी           |         | 01/07/1962 | 30-06-2022          |
| 10.     | 2420      | 578/94      | रामकिशोर बिलोनिया      | SC      | 01/07/1962 | 30-06-2022          |
| 11.     | 6085      | 406/94      | विक्रम सिंह सोलंकी     |         | 19/06/1962 | 30-06-2022          |
| 12.     | 2924      | 407/94      | महावीर प्रसाद यादव     |         | 01/07/1962 | 30-06-2022          |
| 13.     | 2757      | DGS         | कृष्ण मुरारी शर्मा     |         | 11/07/1962 | 31-07-2022          |
| 14.     | 4281      | 445/94      | देव किशन भाटी          |         | 20/08/1962 | 31-08-2022          |
| 15.     | 4320      | 556/94      | गोपाल लाल सैनी         |         | 10/10/1962 | 31-10-2022          |
| 16.     | 4277      | 417/94      | दलाराम सुथार           |         | 20/10/1962 | 31-10-2022          |
| 17.     | 5259      | 354/94      | सुरेश कुमार बोहरा      |         | 28/11/1962 | 30-11-2022          |
| 18.     | 3736      | 319/86      | सुधीर कुमार वर्मा      |         | 24/12/1962 | 31-12-2022          |
| 19.     | 4589      | 74/90       | जीवन राम               |         | 02/12/1962 | 31-12-2022          |
| 20.     | 4623      | 237/94      | चुन्नी लाल जाट         |         | 13/12/1962 | 31-12-2022          |
| 21.     | 3886      | 358/92      | बृजेश कुमार            |         | 08/01/1963 | 31-01-2023          |
| 22.     | 1201      | DGS         | श्रीमती अलका अग्रवाल   |         | 10/01/1963 | 31-01-2023          |
| 23.     | 2641      | 477/94      | रामनारायण स्वामी       |         | 07/01/1963 | 31-01-2023          |
| 24.     | 5444      | 551/94      | सूर्यप्रकाश माथुर      |         | 05/02/1963 | 28-02-2023          |
| 25.     | 8768      | 425/94      | महेन्द्र राखेचा        |         | 10/03/1963 | 31-03-2023          |

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में कम संख्या 1 व 8 पर अंकित श्री राधेश्याम भाटिया एवं श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को छोड़कर यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

उपर्युक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II में से राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों के मामलों में आवंटि की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना अनिवार्य है।

  
(भूपेश माथुर)

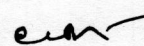
निदेशक

दिनांक :- 22.12.21

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (सेवानिवृत्त) अलेसे-11/963

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय .....।
4. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष .....को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो आवेलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवायें जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री ..... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय .....।
8. अलेसे-1/IIA/डीपीसी/जांच शाखा/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

  
(धीरज सिसोदिया)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)